



संख्या- / जी0एस0 / शिक्षा / A4-129-2 / 2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2020

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-762, दिनांक 05.10.2020 एवं पत्र संख्या-763, दिनांक 05.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वस्वीकृति / पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
जागरण कॉलेज ऑफ लॉ, ग्रा0-शंकरपुर, त0-विकासनगर, देहरादून।	एल0एल0बी0	120	2020-21
	बी0ए0-एल0एल0बी0	120	
	बी0बी0ए0-एल0एल0बी0	120	
	एल0एल0एम0	30	

(1) कार्यपरिषद्, नियामक संस्थाओं के मानकों के पूर्ण होने की दशा, निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के दृष्टिगत सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराये।

3- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)

सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या-232 2(1) / जी0एस0 / शिक्षा / A4-129-2 / 2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
29/12/20

(एन0के0 पोखरियाल)

उप सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।